

डिकी मुकदमा इब्तदाई फाईनल

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर वमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

जमनालाल पुत्र धर्मपाल जाति मीना निवासी कवरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

- वादी

बनाम

1. भरतलाल पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी कवरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. तहसीलदारजी तहसील टोडाभीम (लैण्ड हॉल्डर फॉरमल पक्षकार)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत् डिविजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा (स्टे)

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0टे0एक्ट

मुकदमा नं0 दावा - 22/2015

तारीख रजू - 16.04.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 बाबत् डिविजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक बटवारा स्कीम फाईनल डिग्री किया जाकर भूमि खसरा नं0 427/2 रकवा 0.12 हेक्टर, 618/2 रकवा 0.16 हेक्टर, 390/2 रकवा 0.08 हेक्टर, 389/2 रकवा 0.40 हेक्टर, 392 रकवा 0.16 हेक्टर, 393/2 रकवा 0.15 हेक्टर, 409 रकवा 0.28 हेक्टर, 409/676 रकवा 0.01 हेक्टर, 409/738 रकवा 0.13 हेक्टर, 379 रकवा 0.18 हेक्टर, 378/2 रकवा 0.10 हेक्टर, 375 रकवा 0.30 हेक्टर, 439 रकवा 0.25 हेक्टर, 450 रकवा 0.25 हेक्टर, 451 रकवा 0.23 हेक्टर, 456 रकवा 0.12 हेक्टर, 492 रकवा 0.17 हेक्टर, 493 रकवा 0.08 हेक्टर, 494 रकवा 0.28 हेक्टर, 500 रकवा 0.28 हेक्टर, 536/2 रकवा 0.28 हेक्टर, 536/760 रकवा 0.01 हेक्टर, 604 रकवा 0.11 हेक्टर, 353/729 रकवा 0.02 हेक्टर, 447 रकवा 0.25 हेक्टर, 597/2 रकवा 0.07 हेक्टर कुल किता 26 कुल रकवा 4.47 हेक्टर वादी को तथा भूमि खसरा नं0 482 रकवा 0.16 हेक्टर, 494/675 रकवा 0.03 हेक्टर, 505 रकवा 0.36 हेक्टर, 536/1 रकवा 0.28 हेक्टर, 603 रकवा 0.09 हेक्टर, 597/1 रकवा 0.07 हेक्टर, 427/1 रकवा 0.12 हेक्टर, 618/1 रकवा 0.17 हेक्टर, 389/779 रकवा 0.06 हेक्टर, 390/1 रकवा 0.05 हेक्टर, 389/1 रकवा 0.37 हेक्टर, 391 रकवा 0.17 हेक्टर, 393/1 रकवा 0.14 हेक्टर, 386 रकवा 0.03 हेक्टर, 383 रकवा 0.31 हेक्टर, 384 रकवा 0.02 हेक्टर, 385 रकवा 0.03 हेक्टर, 377/731 रकवा 0.03 हेक्टर, 376/730 रकवा 0.06 हेक्टर, 378/1 रकवा 0.20 हेक्टर, 374

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

रकवा 0.30 हेक्टर, 401 रकवा 0.20 हेक्टर, 400 रकवा 0.20 हेक्टर, 433 रकवा 0.24 हेक्टर, 433/747 रकवा 0.08 हेक्टर, 434 रकवा 0.15 हेक्टर, 452 रकवा 0.11 हेक्टर, 453 रकवा 0.06 हेक्टर, 455 रकवा 0.15 हेक्टर, 457 रकवा 0.04 हेक्टर, 457/750 रकवा 0.04 हेक्टर, 480 रकवा 0.16 हेक्टर कुल किता 32 कुल रकवा 4.48 हेक्टर प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं० 1 को पाबंद किया जाता है कि वादी की उपरोक्त भूमि में कब्जे काश्त में रुकावट, मजाहमत पैदा नहीं करे। बटवारा स्कीम में ट्रेस निर्णय का ही भाग रहे।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह
 फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक का अदा करें।
 बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.02.2016 को जारी की गई।

दस्तखत

 ओहदा

मुहर



	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
मुदई			स्टाम्प अर्जी दाबा		
स्टाम्प अर्जी दाबा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			महन्ताना वकील		
स्टाम्प वजय सबूत			खर्चा गवाहान		
महन्ताना वकील			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमिश्नर			मुतफरिक		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मीजान		
मुतफरिक					
मीजान					

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिके के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।